न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 66/2022 G.C.M.S. No. 2022/206 दर्ज दिनांक : 15.09.2022

अपीलार्थिगण:

1. टीकम पुत्र खेता के कायम मुकाम–
   1/1 जगाराम पुत्र टीकम, उम्र वयस्क
   1/2 रामलाल पुत्र टीकम, उम्र वयस्क
   1/3 मालाराम पुत्र टीकम, उम्र वयस्क
   1/4 रमेश पुत्र टीकम, उम्र वयस्क
   1/5 पेपी पत्नि टीकम, उम्र वयस्क
2. मगाराम पुत्र खेता, उम्र वयस्क
3. देवाराम पुत्र नगा, उम्र वयस्क, समस्त जातिगण सीरवी, निवासीगण भादरास (सादड़ी), तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. देवाराम पुत्र राईंग, उम्र वयस्क
2. हेमाराम पुत्र राईंग, उम्र वयस्क, जातिगण सिरवी, निवासीगण भादरास (सादड़ी), तहसील देसूरी व जिला पाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, देसूरी।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2012 बअनवान देवाराम वगैरह बनाम टीकम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2019 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सी.पी. वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2012 बअनवान देवाराम वगैरह बनाम टीकम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के विरूद्ध एक वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम मौजा भादरास तहसील देसूरी में स्थित वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। जोकि सर्वथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधिविरूद्व है। चूंकि में प्रतिवादी सं. 4 चमनीदेवी का देहांत दिनांक 28.06.2013 को गया था जिसकी सूचना प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय में दे दी थीं। लेकिन उसके बावजूद भी वादी द्वारा चमनीदेवी के कायममुकाम को रेकर्ड पर लेने के लिए कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया विधि अनुसार वाद के लम्बित रहते किसी पक्षकार का देहांत हो जाता है तो उसके विधिक वारिसानों को सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पेश कर रेकर्ड पर लिया जाना न्यायसंगत है लेकिन उक्त पत्रावली में न तो वादी द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश हुआ है, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिकाओं में देहांत का इन्द्राज किया गया है एवं प्रतिवादी सं. 4 के कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना सीधे ही जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही प्रतिवादी/अपीलांट्स द्वारा पेश जवाबदावा का अवलोकन किये बिना अपीलांट्स को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है प्रतिवादीगण/अपीलांट्स द्वारा दिनांक 19.7.2012 को जवाबदावा पेश किया जिसमें उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का 35 वर्षों पूर्व खातेदारान के मध्य खातेदारों की आपसी मौखिक सहमति एवं रजामंदी से मौके पर भौतिक व वास्तविक रूप से विभाजन हो चुका है एवं विभाजन के अनुरूप सभी खातेदारान पृथक–पृथक रूप से अपने बंट में आये हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। इस कारण पूर्व में हुए बंटवाडे का अंकन राजस्व रेकर्ड में करने का निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही प्रतिवादी/अपीलांट्स को सुने बिना ही जैर अपील निर्णय व आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन तक नहीं किया प्रतिवादी सं. 4 के कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाबदावें का अवलोकन किये बिना प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत पेश करने एंव दस्तावेज प्रदर्शित करवाने का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से जैर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित तत्पश्चात् वादीगण रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 2 ने एकपक्षीय रूप से मेल मिलावट कर तहसीलदार देसूरी से बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करवाया और अंतिम रूप से अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट्स को सुने बिना उपरोक्त बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी हैं जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरित है। दिनांक 21.5.2018 को पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी के लिए न्यायालय में नियत थीं। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली को दिनांक 29.6.2018 में प्रतिवादीगण को सूचना दिये बिना न्याय आपके द्वार अभियान सादड़ी में नियत किया जिसकी प्रतिवादी को सूचना नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के वकील वहां उपस्थित नहीं हो पाये न्याय आपके द्वार शिविर से पत्रावली को प्रतिवादीगण को सूचना दिये बिना न्यायालय में साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत कर सीधे ही प्रतिवादी के जानकारी के बिना प्रतिवादी की शाहदत को बंद कर पत्रावली को बहस हेतु नियत कर दिया एवं दिनांक 13.06.2019 को प्रतिवादी की बहस सुने बिना ही पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नहीं थीं। आज से एक माह पूर्व रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 2 अपीलांट्स की पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडें में बंट में आयी कृषि भूमि पर कब्जा करने की नीयत से आये एवं अपीलांट्स के कब्जा व काश्त में दखलअंदाजी करने लगे तो अपीलांट्स ने मौखिक बंटवाडें मे अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर कब्जा करने से रोका तो रेस्पोंडेंट्स ने अपीलांट्स को धमकी दी की तुम्हारे बंट में आयी उक्त कृषि भूमि हमने न्यायालय से मिलावट करके अपने नाम निर्णय व डिक्री पारित करवाकर दर्ज करवा लिया है उक्त कृषि भूमि पर हम कब्जा करके रहेंगे अगर तुमने रोका टोकी की तो जिस तरह से तुम्हारे पुत्र प्रकाश को जान से मार दिया है उसी प्रकार तुम्हे भी जान से मार देंगे आगे की अच्छी व सम्पूर्ण भूमि को हमने हमारे नाम करवा दिया है तब अपीलांट्स को प्रथम बार जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी हुयी तब अपीलांट्स ने देसूरी जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त जानकारी दी अधिवक्ता ने न्यायालय में जाकर पता किया एवं जैर अपील निर्णय व डिक्री के बारे में अपीलांट्स को जानकारी दी तब अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 5.8.2022 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिये आवेदन पेश किया जहां से दिनांक 8.8.2022 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुयी उक्त प्रतिलिपि प्राप्त होने से यह अपील अतिशीघ्र प्रस्तुत की जा रही हैं। जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 5.8.2022 को होने पर अपीलांट्स ने उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 8.8.2022 को प्राप्त की जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त सहखातेदारी आराजी के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादीगण रेस्पोंडेंटगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2019 को निर्णय व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 14.09.2022 को विलंब के साथ प्रस्तुत की हैं।
2. अपीलांट्स प्रार्थीगण द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नहीं थीं आज से एक माह पूर्व रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 2 अपीलांट्स की पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडें में बंट में आयी कृषि भूमि पर कब्जा करने की नीयत से आये एवं अपीलांट्स के कब्जा व काश्त में दखलअंदाजी करने लगे तो अपीलांट्स ने मौखिक बंटवाडें मे अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर कब्जा करने से रोका तो रेस्पोंडेंट्स ने अपीलांट्स को धमकी दी की तुम्हारे बंट में आयी उक्त कृषि भूमि हमने न्यायालय से मिलावट करके अपने नाम निर्णय व डिक्री पारित करवाकर दर्ज करवा लिया है उक्त कृषि भूमि पर हम कब्जा करके रहेंगे अगर तुमने रोका टोकी की तो जिस तरह से तुम्हारे पुत्र प्रकाश को जान से मार दिया है उसी प्रकार तुम्हें भी जान से मार देंगे आगे की अच्छी व सम्पूर्ण भूमि को हमने हमारे नाम करवा दिया है तब अपीलांट्स को प्रथम बार जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी हुयी तब अपीलांट्स ने देसूरी जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त जानकारी दी अधिवक्ता ने न्यायालय में जाकर पता किया एवं जैर अपील निर्णय व डिक्री के बारे में अपीलांट्स को जानकारी दी तब अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 5.8.2022 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिये आवेदन पेश किया जहां से दिनांक 8.8.2022 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुयी उक्त प्रतिलिपि प्राप्त होने से यह अपील अतिशीघ्र प्रस्तुत की जा रही हैं। जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 5.8.2022 को होने पर अपीलांट्स ने उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 8.8.2022 को प्राप्त की जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

करने की दिनांक से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए 60 दिवस की परिसीमा अवधि निर्धारित है। अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील लगभग 2 वर्ष 7 माह अर्थात लगभग 930 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा विलंब के लिए मुख्य रूप से अपीलांट्स को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होना तथा प्रथम बार जानकारी अपील प्रस्तुत करने से लगभग 1 माह पूर्व रेस्पोंडेंट द्वारा मौके पर आकर अपीलांट्स प्रतिवादीगण को धमकी देने तथा यह कहने कि हमनें न्यायालय से अपने नाम निर्णय व डिक्री करवा ली हैं तथा भूमि पर कब्जा करके रहेंगे, से होना तथा इसके पश्चात अपीलांट द्वारा अधिवक्ता के मार्फत नकल हेतु आवेदन करना एवं दिनांक 08.08.2022 को नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के रूप में अंकित है। जिनकी ओर से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.06.2012 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 19.07.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता नियमित रूप से उपस्थिति दी जाती रही। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स प्रतिवादीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक से ही न केवल बखूबी जानकारी थीं, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार व निर्णित प्रकरण की आरंभ से ही बखूबी जानकारी थीं। अतः अपीलांट्स के उक्त उज्र महज बनावटी, आधारहीन, अतार्किक एवं अस्वीकार्य है। अपीलांट्स द्वारा न तो दिन–प्रतिदिन के विलंब के लिए कोई कारण दर्शित किए हैं एवं न ही विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित कारण दर्शाए हैं, बल्कि विलंबकाल अपीलांट्स की लापरवाही व उदासीनता के कारण घटित हुआ है। ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं हैं।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **930 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **930 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति, बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली